



राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा नम्बर 411, अमेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2226666

क्रमांक: एफ 3(C)(02062)अका/राईस/प्रवेश/2022-23/795

जयपुर, दिनांक : 27-07-2023

आदेश

विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में विभागीय आदेश क्रमांक 241 दिनांक 15.05.2023 द्वारा प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल दिनांक 23.05.2023 से खोला जाकर अन्तिम तिथि दिनांक 27.07.2023 रखी गई थी। जिसमें प्रथम मैरिट दिनांक 26.06.2023 को, द्वितीय मैरिट दिनांक 10.07.2023 एवं तृतीय मैरिट लिस्ट दिनांक 28.07.2023 को जारी किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

आदेश में वर्णित तृतीय मैरिट लिस्ट दिनांक 28.07.2023 के स्थान पर दिनांक 19.07.2023 को एवं चतुर्थ मैरिट लिस्ट दिनांक 28.07.2023 को जारी की गई है।

वर्तमान में विभागीय राजकीय आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की समीक्षा उपरांत ये पाया गया है कि अभी भी लगभग 50 प्रतिशत सीटों पर विद्यार्थियों को ज्वाइन नहीं किया गया है तथा आवासीय विद्यालय चौथ का बरवाड़ा और आवासीय विद्यालय अंधपुरा सकरघटा इसी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से आरम्भ किये जा रहे हैं जिनकी भी प्रवेश प्रक्रिया की गति धीमी है।

अतः आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 28.07.2023 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2023 की जाती है। उक्त अवधि में प्रवेश हेतु मैरिट लिस्ट निम्नानुसार जारी की जायेगी:-

- पंचम सुची- दिनांक 07.08.2023
- षष्ठम सुची- दिनांक 18.08.2023
- सप्तम सुची- दिनांक 24.08.2023
- अष्टम सुची- दिनांक 31.08.2023

(विश्राम मीना)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: एफ 3(C)(02062)अका/राईस/प्रवेश/2022-23/796-801

जयपुर, दिनांक : 27-07-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
4. उप निदेशक (आई.टी), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश का तत्काल विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान कराया जाना सुनिश्चित करावें।
5. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार आदेश का सामान्य प्रचार-प्रसार कराने की व्यवस्था करावें।
6. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Vishram Meena
Designation: Director
Date: 2023.07.27 17:16:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4364188

